झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....55........ वर्ष 20.23...

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पुजा कुमारी सोनी
मेट्रो गली, रोड नं० - 12,
राँची।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, राँची

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग **कैम्प कार्यालय, राँची।** **वाद सं0–55/2023** आज दिनांक–05.10.2023 को राँची परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के क्रम में वाट्सएप्प द्वारा अध्यक्ष को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से शिकायतकर्ता, पुजा कुमारी सोनी, राशन (कार्ड नं0–202006698676), पता–मेट्रो गली, रोड नं0–12, राँची ने अवगत कराया है कि उन्हें जनवितरण प्रणाली दुकानदार, श्री गणपति चंद्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09/2021, वार्ड नं0–30, सुखदेव नगर द्वारा राशन कम दिया गया एवं विरोध करने पर उनके साथ हाथा–पाई की गई। शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध कराते हुए आयोग यह निर्देश देता है कि पूरे मामले की जाँच कर, आयोग को अपना जाँच प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराएँ एवं यदि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप सही पाये जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनवितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए ऐसा नजीर पेश करें, ताकि कोई दूसरा जनवितरण प्रणाली दुकानदार किसी लाभुक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाये। निदेश दिया गया कि इस वाद को आयोग में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। मामले की अगली सुनवाई आयोग कार्यालय में होगी। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx62	